न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/157 **दायरा दिनांक : 28.07.2025**

उनवान

1. मुसम्मात ग्यारसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री जमनालाल जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
2. स्वर्गीय मोहनी बाई पुत्री जमनालाल जी पत्नी चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज. मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   2/1. रवि पुत्र चन्द्र मोहन जी, जाति कुमरावत
   2/2. योगेन्द्र (उर्फ योगेश) पुत्र चन्द्र मोहन जी, जाति कुमरावत
   2/3. चेतन पुत्र चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत
   2/4. टीना बाई पुत्री चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत
   हाल निवासीगण दादाबाडी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

.... अपीलांट

बनाम

1. स्वर्गीय चन्द्रकला पुत्री माधोलाल जी पत्नी चतरू जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज. मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   1/1. बद्रीलाल पुत्र चतरू जी उर्फ चतुर्भुज जी, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
   1/2. लक्ष्मीनारायण पुत्र चतरू जी उर्फ चतुर्भुज जी, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
   1/3. गंगाबाई पुत्री चतरू जी उर्फ चतुर्भुज पत्नी श्री गुलाब चन्द जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
   1/4. मनभरबाई पुत्री चतरू उर्फ चतुर्भुज पत्नी रामदयाल जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
   1/5. महेन्द्र सिंह पुत्र जमना बाई पत्नी श्री भंवर लाल जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
2. मुसम्मात पन्सुरी बाई पुत्री माधोलाल जी पत्नी श्री भंवरलाल जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम बल्लूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 2025/158 (काउण्टर क्लेम) **दायरा दिनांक : 28.07.2025**

उनवान

1. मुसम्मात ग्यारसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री जमनालाल जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
2. स्वर्गीय मोहनी बाई पुत्री जमनालाल जी पत्नी चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज. मृतक जरिये कायम मुकामान :–
   2/1. रवि पुत्र चन्द्र मोहन जी, जाति कुमरावत
   2/2. योगेन्द्र (उर्फ योगेश) पुत्र चन्द्र मोहन जी, जाति कुमरावत

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

2/3. चेतन पुत्र चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत
2/4. टीना बाई पुत्री चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत
हाल निवासीगण दादाबाडी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0
.... अपीलांट

बनाम

1. स्वर्गीय चन्द्रकला पुत्री माधोलाल जी पत्नी चतरू जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज. मृतक जरिये कायम मुकामान :–
1/1. बद्रीलाल पुत्र चतरू जी उर्फ चतुर्भुज जी, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
1/2. लक्ष्मीनारायण पुत्र चतरू जी उर्फ चतुर्भुज जी, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
1/3. गंगा बाई पुत्री चतरू जी उर्फ चतुर्भुज पत्नी श्री गुलाब चन्द जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
1/4. मनभर बाई पुत्री चतरू उर्फ चतुर्भुज पत्नी रामदयाल जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
1/5. महेन्द्र सिंह पुत्र जमना बाई पत्नी श्री भंवर लाल जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
2. मुसम्मात पन्सुरी बाई पुत्री माधोलाल जी पत्नी श्री भंवरलाल जी, जाति कुमरावत,निवासी ग्राम बल्लूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
..... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री नरेन्द्र गुप्ता एवं श्री अनुराग गुप्ता अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री धर्मेन्द्र चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 12.12.2025**

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या 85/2019 (पुराना संख्या 1/2010) निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी अपीलांटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राममून्डकिया, तहसील छबडा में भूमि खसरा नं. 58 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 59 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 60 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 62 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नं. 63 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नं. 64 रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 65 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नं. 115 रकबा 1 बीघा, खसरा नं. 116 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 117 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 119 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नं. 120 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 128 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नं. 129 रकबा 3

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बिस्वा, खसरा नं. 130 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नं. 135 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 140 रकबा 1 बिस्वा, खसरा नं. 150 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 151 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नं. 330 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा कुल 20 किता आराजीयात कुल रकबा 47 बीघा 2 बिस्वा, ग्राम कून्डी, तहसील छबडा की भूमि खसरा नं. 530 रकबा 12 बीघा 2 बिस्वा एवं ग्राम खेरखेडा गुसाई, तहसील छबडा में भूमि खसरा नं. 10 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नं. 13 रकबा 7 बीघा 15 बिस्वा कुल 2 किता कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2025 से वादिनी का वाद खारिज किया तथा प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी कानून, न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाने में त्रुटि की है एवम प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबड़ा, जिला बांरा राज. की विभिन्न खसरा नम्बरान की 20 किता की 47 बीघा 2 बिस्वा ग्राम कुन्डी, तहसील छबडा की खसरा नम्बर–530 की 12 बीघा 2 बिस्वा एवम ग्राम खेरखेडा गुसाई, तहसील छबडा की खसरा नम्बर–10 की 5 बीघा 1 बिस्वा एवम खसरा नम्बर–13 की 7 बीघा 15 बिस्वा जुमला 2 किता की 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि में प्रतिवादी नम्बर–1 व 2 को माधोलाल के हिस्से की भूमि 1/2 में से 1/3–1/3 यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निर्णय एवम डिक्री सादर फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नहीं फरमाया कि वादीगण अपीलाण्ट्स वाद विषयक अपील विषयक कृषि आराजीयात के खातेदार टीनेन्ट है एवम काबिज है. इस तथ्य को वादीगण अपीलाण्ट्स ने शहादत से प्रमाणित कर दिया था, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत दावा खारिज फरमाकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाकर निर्णय एवम डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नहीं फरमाया कि वाद विषयक अपील विषयक उपरोक्त भूमि पूर्व में वादिनी अपीलाण्ट नम्बर–1 ग्यारसीबाई एवम उसके पति श्री जमनालाल जी के शामलाती खाते में दर्ज थी। दोनो उपरोक्त भूमि के संभाग से 1/2–1/2 हिस्से के सहकृषक दर्ज थे। वादिनी अपीलाण्ट नम्बर–1 के पति श्री जमनालाल जी की मृत्यु होने पर उनके 1/2 हिस्से की भूमि वादिनी अपीलाण्ट नम्बर–1 एवम वादिनी नम्बर–2 मोहनी बाई के शामलाती खाते में दर्ज की गई थी। इस प्रकार उक्त भूमि का वादिनी अपीलाण्ट नम्बर–1, 3/4 हिस्से की एवम वादिनी नम्बर–2, 1/4 हिस्से की सहकृषक एवम काबिज है दौराने दावा वादिनी नम्बर–2 मोहनी बाई की मृत्यु हो जाने से उसके 1/4 हिस्से के वारिस वादी अपीलाण्ट नम्बर–2/1 लगायत–2/4 है अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नहीं फरमाया कि माधोलाल जी उनके पुत्र जमनालाल एवम पुत्र वधु ग्यारसी बाई वादिनी के साथ निवास करते थे। वादिनी नम्बर–1 ग्यारसी बाई एवम उसके पति की सेवा सुश्रुषा प्रसन्न होकर खातेदार माधोलाल जी ने उनके हिस्से व खाते की कृषि भूमि, मकान

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

एवम अन्य चल सम्पत्तियो का वसीयतनामा दिनांक 13–08–1993 को वादिनी अपीलाण्ट नम्बर–1 के पक्ष में निष्पादित कर उसे अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया था। खातेदार माधोलाल जी की मृत्यु हो चुकी है, उनका वसीयती उत्तराधिकारी होने से वादिनी अपीलाण्ट नम्बर–1 ग्यारसीबाई, माधोलाल जी के खाते व हिस्से की भूमि की कानूनन खातेदार टीनेन्ट हो गई है माधोलाल जी की कृषि आराजीयात का फौती नामान्तकरण वादिनी अपीलाण्ट नम्बर–1 के पक्ष में उनकी वसीयती उत्तराधिकारी होने से सही रूप से नियमानुसार तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नही है

प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 व 2 का वाद विषयक अपील विषयक आराजीयात में कोई हक एवम अधिकार नही है, हित निहित नहीं है तथा कब्जा नही है अधीनस्थ न्यायालय में उन्हे काउन्टर क्लेम प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं थे, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने सर्वथा गलत रूप से मनमाने तौर पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम स्वीकार कर निर्णय एवम डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है वाद विषायक अपील विषयक कृषि आराजीयात पुश्तेनी नही है, इस तथ्य को प्रतिवादी रेस्पो० द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवम डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्स ने माधोलाल जी की सम्पत्ति के सम्बंध में धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की थी, उक्त कार्यवाही सिविल न्यायालय द्वारा खारिज फरमाई जा चुकी है उक्त प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्स को उक्त वसीयतनामे को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराने का निर्देश दिया गया था। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट्स ने उक्त वसीयतनामे को निरस्त कराने की कोई कार्यवाही नही है राजस्व न्यायालय को वसीयत का अवैध करार देने का क्षेत्राधिकार एवम श्रवणाधिकार नही है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवम डिक्री अवैध, त्रुटिपूर्ण एवम सर्वथा गलत होने से निरस्तनीय है अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर–1 निर्णय वादीगण अपीलाण्ट्स के पक्ष में करने के उपरान्त भी दावा वादीगण अपीलाण्ट्स खारिज फरमाने में त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर–2, 3 व 4 का निर्णय वादीगण अपीलाण्ट्स के विरूद्ध एवम प्रतिवादी रेस्पो० के पक्ष में करने में त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार माधोलाल जी द्वारा की गई वसीयत को प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की तनकीयात 2/3 हिस्से की हद तक अवैध होना मानकर निर्णय एवम डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के प्रावधानो का गलत अर्थ निकालने में त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नही फरमाया कि खातेदार माधोलाल जी ने उनके हिस्से व खाते की सम्पूर्ण भूमियों का वसीयतनामा वादिनी अपीलांट के पक्ष में दिनांक 13.08.1993 को निष्पादित किया गया था। खातेदार वसीयतकर्ता माधोलाल जी की वसीयतनामा निष्पादित करने के कुछ दिनों बाद सन् 1993 में मृत्यु हो गई थी। उक्त वसीयतनामा सन् 1993 में ही प्रभावशील हो गया था। संशोधित धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिनांक 09.09.2005 से प्रभावशील हुई है दिनांक 20.12.2004 तक के समस्त बेधान अन्तरण एवं वसीयतनामे (Testamentary succession) उक्त संशोधित धारा 6 से अप्रभावित है, इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयतनामे

(दिनेश चन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

को 2/3 हिस्से की हद तक अवैध एवं प्रभावशून्य होना मानकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम डिक्री फरमाने में कानूनी त्रुटि की है वसीयत की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है इस कानूनी बिन्दु पर गोर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय एवम् डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवम डिक्री सर्वथा गलत, त्रुटिपूर्ण, मनमाना एवम अधिकारविहीन होने से निरस्तनीय है।

वाद विषयक आराजीयात के 1/2 हिस्से के सहकृषक माधोलाल जी थे एवम 1/2 हिस्से के सहकृषक धूलीलाल जी थे। धूलीलाल जी ने पंजीकृत दान–पत्र से उनके सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि जमनालाल जी को दान कर कब्जा संभला दिया था। धूली लाल जी के सम्पूर्ण 1/2 हिस्से की भूमि जमनालाल जी को खाते दर्ज हुई थी। उक्त भूमि पर वर्तमान में वादीगण अपीलाण्ट काबिज है एवम उक्त भूमि वादीगण अपीलाण्ट्स के खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने गोर नही फरमाया कि नामान्तरकरण संख्या–291 ग्राम मुंडाकिया नामान्तकरण संख्या–122 ग्राम खेरखेडा गुसाई एवम नामान्तरकरण संख्या–435 ग्राम कुन्डी वादिनी की अपीलाण्ट नम्बर–1 के पक्ष में नियमानुसार तस्दीक हुये। इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण विवादित भूमि के 1/3–1/3 हिस्से का प्रतिवादीगण नम्बर–1 व 2 को सर्वथा गलत रूप से खातेदार घोषित फरमाने में त्रुटि की है प्रतिवादीगण अपीलाण्ट्स द्वारा केवल नामान्तकरण संख्या–291 को चैलेन्ज किया गया था अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलाण्ट्स के अभिभाषक की आपत्तियो को खारिज कर सम्पूर्ण विवादित भूमि का प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट नम्बर–1 व 2 को क्रमशः 1/3, 1/3 हिस्से का खातेदार घोषित फरमाने में त्रुटि की है।

वादीगण अपीलाण्ट ने माधोलाल जी द्वारा किये गये वसीयतनामे को प्रमाणित कर दिया था, इसके उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयतनामे पर विश्वास नही करने में त्रुटि की है वादीगण अपीलाण्ट्स वाद विषयक आराजीयात के खातेदार, टीनेन्ट एवम काबिज है अतः अधीनस्थ नयायालय को वादीगण अपीलाण्ट्स का दावा डिक्री फरमाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण रेस्पो० का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर निर्णय एवम डिक्री जेर अपील पारित किया है उक्त निर्णय एवम डिक्री बाबत वादीगण अपीलाण्ट्स पृथक से अपील की गई है। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट का वाद विषयक आराजीयात पर कभी भी कब्जा नही रहा है, एवम वर्तमान में भी कब्जा नही है प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत घोषणात्मक वाद कब्जे के अभाव में पोषणीय नहीं था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने डिक्री फरमाने में त्रुटि की है अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत शहादत को एप्रिशियट किये बिना ही निर्णय एवम डिक्री जेर अपील प्रदान करने में त्रुटि की है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय एवम डिक्री जेर अपील निरस्त फरमाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगण रेस्पो० के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित फरमाई जावे एवं प्रतिवादीगण रेस्पो० द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जावे। दावा वादीगण अपीलाण्ट्स डिक्री फरमाया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

दोनों अपीले प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि माधोलाल ने वसीयत द्वारा पुत्रवधु ग्यारसी के पक्ष में तीनों गांवों की भूमि का उत्तराधिकारी घोषित किया, जो कि ना.सं. 291 से दिनांक 02.09.1993 से ग्यारसी के खाते दर्ज हुई। हुई। प्रतिवादी का काउंटर क्लेम है कि वसीयत फर्जी है, परंतु प्रतिवादी ने ना तो सिविल कोर्ट में दावा किया, ना ही फौजदारी कार्यवाही की है। नामांतरण संख्या 291 की अपील एडीएम बारां द्वारा दिनांक 31.03.2010 को खारिज होने के बाद हमने माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के यहां अपील पेश जिसे माननीय न्यायालय अतिरिक्त सभांगीय आयुक्त कोटा द्वारा दिनांक 26.08.2010 से नामांतरण संख्या 291 को बहाल रखा गया, जिसकी प्रतिवादी ने रेवेन्यू बोर्ड में रिविजन की हुई है। पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई जमाबंदी पेश नही की है। रेस्पोडेंट द्वारा वसीयत को सक्षम न्यायालय से खारिज करने की कोई कार्यवाही नहीं की है अतः हक प्राप्त करने का कोई अधिकारी प्राप्त नहीं है। आरआरटी की धारा 39 के तहत् खातेदार को वसीयत का अधिकार प्राप्त है। हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम संशोधन 2005 के अनुसार 20 दिसम्बर 2004 से पहले किसी सम्पत्ति का निस्तारण पूर्व में किया जा चुका है उस पर 2005 के संशोधन के प्रावधान लागू नही होते। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नं. 1 में हमारा कब्जा माना है। रेस्पोडेंट का काउंटर क्लेम स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी अपास्त किया जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष के समर्थन में The Hindu Succession Act 1956 सेक्शन 6 पेज नं. 641 व 642, आर.आर.डी. 14.05.2016 पेज 280, आर.आर.डी. 14.01.2016 पेज 14, आर.आर.टी. 2018(2) पेज 848, आर.आर.टी. 2019(1) पेज 184, आर.आर.टी. 2020(2) पेज 998, एस.सी.आर. 135 भारत का सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण बेंच विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा निर्णय दिनांक 11.08.2020 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने उक्त उनवान अपील बिना किसी आधार के केवल मात्र रेस्पोडेन्टगण को परेशान करने के आशय से पेश की है जो निरस्त होने योग्य है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी कानून समत् होने से बहाल होने योग्य है।

वाके माल ग्राम मुण्डक्या, तहसील छबड़ा में खाता संख्या 27 की भूमि खसरा नं० 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 115, 116, 117, 119, 120, 128, 129, 130, 135, 140, 150, 151 व 330 कुल 20 किता कुल रकबा 47 बीघा 2 बिस्वा तथा ग्राम कुन्डी, तहसील छबडा में खाता संख्या 42 की भूमि खसरा नं० 530 रकबा 12 बीघा 2

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बिस्वा तथा ग्राम खेरखेडा गुसाई, तहसील छबडा में खाता संख्या 27 व 28 की भूमि खसरा नं० 10, 13, 14 व 15 कुल 4 किता कुल रकबा 16 बीघा 4 बिस्वा स्थित है उक्त सम्पूर्ण आराजी कुल 75 बीघा 14 बिस्वा संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी आराजी है जिसमें अपीलान्ट व रेस्पो० के पूर्वज श्री माधोलाल जी का 1/2 हक व हिस्सा था । उक्त वर्णित समस्त आराजी में श्री माधोलाल जी का 1/2 हक व हिस्सा इस प्रकरण/अपील में विवादित है।

अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज श्री लाल जी पुत्र श्री कनीराम कुमावत थे, जिनके दो पुत्र कमशः धूलीलाल व माधोलाल जी हुये तथा उक्त वर्णित सम्पूर्ण आराजी लाल जी से उनकी मृत्यु के बाद दोनो पुत्रो माधोलाल व धूलीलाल को समभाग मे प्राप्त होकर राजस्व रेकार्ड में दोनो भाईयो के नाम 1/2–1/2 संयुक्त खातेदारी में दर्ज हुई है। श्री माधोलाल जी के एक पुत्र जमनालाल व दो पुत्रियां चन्द्रकला व पंसूरी बाई है। जिनमें से जमनालाल की मृत्यु दिनांक 01.08.2009 को हो चुकी है तथा जमनालाल अपने पीछे बेवा ग्यारसी व पुत्री मोहनी बाई को छोडकर स्वर्ग सिद्वारा है तथा दौराने वाद विचारण मोहनी बाई व चन्द्रकला का भी स्वर्गवास हो चुका है।

उक्त वाद/अपील में विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड अनुसार अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज लाल जी पुत्र कनीराम कुमावत के खातेदारी में दर्ज थी जो उनको भी उनके पूर्वजो से प्राप्त हुई थी तथा श्री लाल जी की मुत्यु बाद उक्त आराजी लाल जी के पुत्र माधोलाल व धूलीलाल को संमभाग बाट बराबर विरासतन प्राप्त हुई है। श्री माधोलाल जी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त रेस्पो० श्री माधोलाल जी के वैध वारिसान उतराधिकारी कायम मुकामान है जिनका उक्त विवादित आराजी में पैदाईशी हक अधिकार निहीत है ।

उक्त उनवान प्रकरण के पक्षकारान जन्म से हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है तथा हिन्दू उत्तराधिकार के तहत रेस्पोडेन्टगण का विवादित आराजी में जन्म से ही हक व अधिकार निहीत है अपीलान्ट कम 1 को प्रारम्भ से ही जानकारी थी कि उक्त विवादित आराजी रेस्पोडेंटगण के पूर्वज श्री माधोलाल जी को उनके पूर्वज लाल जी से प्राप्त हुई है जो वाद के पक्षकारान की पैत्रक सम्पति है। जिसमें रेस्पोडेन्ट कम 1 मृतक चन्द्रकला व रेस्पो० कम 2 पंसूरी बाई का माधोलाल की पुत्री होने व लालजी की पौत्री होने से पैदाईशी हक व अधिकार निहित है इस कारण अपीलान्ट कम 1 ने रेस्पोडेन्ट कम 1 मृतक चन्द्रकला व रेस्पो० कम 2 पंसूरी बाई को उनके हक अधिकारों से वंचित करने व सम्पूर्ण विवादित आराजी को हडपने के आशय से माधोलाल जी की मृत्यु के बाद चुपचाप छुपाते हुये एक फर्जी कूटरचित मृतक माधोलाल जी का वसीयतनामा दिनांकित 13.08.1993 अपीलान्ट कम 1 ने स्वयं के नाम तैयार करवा लिया एवं उक्त फर्जी कूटरचित वसीयतनामा की आड़ में राजस्व कर्मचारियो से सांठ–गाठ कर गुपचुप तरीके से ग्राम मुन्डकिया की आराजी में नामा० नं० 291 ग्राम कुन्डी की आराजी में नामा० नं0 435 ग्राम खेरखेडा गुसाई की विवादित आराजीयात में नामान्तकरण नं० 122 एक ही दिनांक 02.09.1993 को अपीलान्ट कम 1 ने स्वयं के नाम खुलवाकर राजस्व रेकार्ड संयुक्त खातेदारी में

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

माधोलाल जी के स्थान पर अपना नाम दर्ज करवा दिया। जो प्रारम्भ से ही रेस्पो० कम 1 व 2 के हक अधिकारो के विपरीत होने व कानूनन किसी व्यक्ति द्वारा अपने स्वतः से अधिक हस्तान्तरण करने का अधिकार नहीं होने पर विधि विरूद्ध होने से अमान्य एवं प्रभाव शून्य होने से रेस्पोडेन्टगण के हक हितो पर निष्प्रभावी है तथा रेस्पोडेन्टगण के उत्तरभोगी उत्तराधिकारों के समक्ष अवैध एवं शून्य दस्तावेज होने से प्रारम्भतः शून्य है।

विवादित सम्पूर्ण आराजी पर ताउम्र रेस्पोडेन्ट/प्रतिवादीगण के पूर्वज काबिज काश्त रहे एवं उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 का सहदायिकी एक मात्र भाई जमनालाल रेस्पो० कम 1 व 2 की सहमति से उनके हक हिस्से की विवादित आराजी को काश्त कर रहा था। अपीलान्ट कम 1 का विवादित आराजी पर कभी कब्जा काश्त नहीं रही है। जब प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के सहदायिकी/भाई जमनालाल का स्वर्गवास दिनांक 01.08.2009 को हुआ तो जमनालाल के गंगाजल की रसोई दिनांक 15.08.2009 को अपीलान्ट कम 1 ने विवादित आराजी में रेस्पो० कम 1 व 2 के हक हिस्से को लेकर लडाई–झगडा कर रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 को माधोलाल जी पुश्तैनी मकान से निकालने की धमकी दी और बताया की सारी विवादित जमीन उसके नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज है, जिस पर उक्त जानकारी पुष्ठ करने हेतु राजस्व रेकार्ड निकलवाया तो रेस्पो० कम 1 व 2 को प्रथम बार जानकारी में आया की रेस्पो० कम 1 व 2 अनपढ महिलाये होने व उनका अपने एक मात्र भाई जमनालाल पर विश्वास करने के कारण उन्होने विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड का अध्ययन करने की कभी आवश्यकता नही समझी जिसका फायदा उठाकर अपीलान्ट कम 1 ने रेस्पोडेन्ट कम 1 मृतक चन्द्रकला व रेस्पो० कम 2 पंसूरी बाई को उनके हक अधिकारो से वंचित करने व सम्पर्ण विवादित आराजी को हडपने के आश्य से माधोलाल जी की मृत्यु के बाद चुपचाप एक फर्जी कूटरचित मृतक माधोलाल जी का वसीयत नामा अपीलान्ट कम 1 ने स्वयं के नाम तैयार करवा लिया एवं उक्त फर्जी कूटरचित वसीयत नामा की आड में राजस्व कर्मचारियो से सांठ–गाठ कर गुपचुप तरीके से ग्राम मुन्डकिया की आराजी में नामा० नं० 291 ग्राम कुन्डी की आराजी में नामा० नं० 435 ग्राम खेराखेडा गुसाई की विवादित आराजीयात में नामान्तकरण नं० 122 एक ही दिनांक 02.09.1993 को अपीलान्ट कम 1 ने स्वयं के नाम खुलवाकर राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा दिया। उक्त समस्त नामान्तकरण उक्त फर्जी कूटरचित वसीयतनामा दिनांकित 13.08.1993 के आधार पर खोले जाने से प्रारम्भ से ही रेस्पो० कम 1 व 2 के हक अधिकारो के विपरीत होने व विधि विरूद्ध होने से अमान्य एवं प्रभाव शून्य होने से रेस्पोडेन्टगण के हक हितो पर निष्प्रभावी है इस कारण रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 स्व० माधोलाल जी की पुत्रियां होने व विवादित आराजी पुश्तैनी होने से हिन्दू उत्तराधिकार के प्रावधानो अनुसार विवादित आराजी में अपने हक हिस्से की आराजी की घोषणा करवा पाने के अधिकारी व नालिशी है।

स्व० श्री माधोलाल जी ने अपने जीवन काल में ना तो कोई वसीयत आलेखित करवायी ना ही किसी वसीयत पर हस्ताक्षर किये ना ही श्री माधोलाल जी ने अपने जीवन काल में वसीयत के बारे में अपनी बेटियो रेस्पो० कम 1 व 2 से कोई जिक किया। इस कारण जो वसीयत अपीलान्ट कम 1 द्वारा बतायी गयी है वह श्री

(दीप्ति-समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

माधोलाल जी की मृत्यु के बाद तैयार किया जाना प्रमाणित करती है तथा जिस दिनांक को वसीयत करना बताया गया है उस दिनांक को माधोलाल जी की पत्नि श्रीमती नर्बदाबाई जीवित थी जिसके हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी वसीयत पर नहीं है ना ही उसके भरण पोषण निमित कोई व्यवस्था वसीयत नामें में आलेखित है तथा जमनालाल की पहली पत्नी भूली बाई के जीवित होने व अपीलान्ट कम 1 जमनालाल की दूसरी पत्नि होने जो माधोलाल जी की वारिस उत्तराधिकारी भी नही है के नाम वसीयत करना संदेहास्पद है इस प्रकार केवल मात्र रेस्पो० कम 1 व 2 को उनके हक अधिकारो से वंचित करने के आश्य से उक्त फर्जी वसीयत दिनांकित 13.08.1993 की कूटरचना की गयी है एवं उक्त संदिग्ध परिस्थितिया अपने आप में वसीयत को कूटरचित होना दर्शित करती है

प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के भाई जमनालाल के गंगाजल की रसोई दिनांक 15.08.2009 को अपीलान्ट कम 1 द्वारा विवादित आराजी में रेस्पो० कम 1 व 2 के हक हिस्से को लेकर लडाई झगडा कर रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 को माधोलाल जी के पुश्तैनी मकान से निकालने की धमकी देने और सारी विवादित जमीन उसके नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने की कहने पर उक्त जानकारी पुष्ठ करने हेतु राजस्व रेकार्ड निकलवा कर देखने पर जानकारी हुई की अपीलान्ट कम 1 ने रेस्पोडेन्ट कम 1 मृतक चन्द्रकला व रेस्पो० कम 2 पंसूरी बाई को उनके हक अधिकारो से वंचित करने व सम्पर्ण विवादित आराजी को हडपने के आश्य से माधोलाल जी की मृत्यु के बाद चुपचाप एक फर्जी कूटरचित मृतक माधोलाल जी का वसीयत नामा अपीलान्ट कम 1 ने स्वयं के नाम तैयार करवा लिया एवं उक्त फर्जी कूटरचित वसीयत नामा की आड में राजस्व कर्मचारियो से सांठ–गाठ कर गुपचुप तरीके से विवादित आराजीयात में फर्जी वसीयत के आधार पर अपीलान्ट कम 1 ने स्वयं के नाम नामान्तकरण खुलवाकर राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खातेदारी में अपना नाम दर्ज करवा लिया है अपीलान्ट कम 1 के उक्त फर्जकारी की जानकारी होने व रेस्पो० कम 1 व 2 द्वारा अपने हक अधिकारो को लेकर वाद दायर करने की कहने पर अपीलान्ट कम 1 व 2 ने जानबूझकर रेस्पो० कम 1 व 2 को उनके हक अधिकारो से वंचित करने के आश्य से मिथ्या बनवाटी असत्य कथनो के आधार पर उक्त उनवान प्रकरण अन्तर्गत धारा 188 आर० टी० एक्ट अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिया जिसकी सूचना पर रेस्पो० कम 1 व 2 ने उक्त वाद का जवाब पेश कर अपने अधिकारो के निमित्त काउन्टर क्लेम पेश किया है तथा माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानूनन सम्मत रूप से रेस्पो०/प्रति० कम 1 व 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर निर्णय पारित किया है जो सही है।

वर्तमान में भी विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट अपने हक हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम सही एवं सत्य तथ्यो तथा दस्तावेजी प्रमाणो पर आधारित है अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दावा व जवाबउल जवाब मिथ्या बनावटी एवं प्रमाणहीन कपटपूर्ण अभिवचनी पर आधारित होना सिद्ध है।

अधीनस्थ न्यायालय की तनकी नं० 1 को साबित मानकर कानूनी भूल की है उक्त तनकी वाद पत्र की मद नं० 12 व 3 में वर्णित आराजी वादीगण के कब्जे

(प्रति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

काश्त, शामलाती चले आने बाबत् है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने केवल राजस्व रेकार्ड में अपीलान्ट/वादीगण का नाम दर्ज होने के आधार पर साबित मान लिया परन्तु इस तथ्य पर गौर नहीं किया की राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी व नामान्तकरण से पूर्व विवादित आराजी माधोलाल व धूलीलाल जी के खातेदारी में समभाग दर्ज थी। माधोलाल जी के खाते की आराजी फर्जी कूटरचित वसीयत से अपीलान्ट कम 1 को व धूलीलाल जी की आराजी जमनालाल को दान पत्र के आधार पर प्राप्त हुई है इससे पूर्व उक्त आराजी कनीराम जी से अपने दोनो पुत्रो माधोलाल व धूलीलाल जी को विरासतन प्राप्त हुई थी। गवाह पी०डब्ल्यू०2 व 3 के प्रतिपरीक्षण से भी उक्त तथ्य स्पष्ट है तथा स्वयं गवाह पी०डब्ल्यू०1 ग्यारसी बाई द्वारा दौराने प्रतिपरिक्षण स्वीकार किया है कि उक्त आराजी पैतृक है तथा माधोलाल जी ने कोई बंटवारा नहीं किया। इस प्रकार उक्त आराजी संयुक्त परिवार की सहदायगी में शामलाती चली आ रही थी तथा उक्त आराजी का कभी वाद के पक्षकारान के मध्य विभाजन नही हुआ है जिस कारण सहदायगी भूमि पर प्रत्येक सहदायगी को कानूनन बराबर हक अधिकार प्राप्त है तथा किसी एक सहदायगी का कब्जा अन्य किसी सहदायगी पर अधिभावी व प्रतिकूल कब्जे के आधार उसे उसके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकता एवं उक्त सिद्धान्त विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तो से प्रतिपादित है एवं राजस्व प्रविष्ठियां स्वंय ही स्वत्व प्रदान नहीं करती है। इसके बावजूद उक्त तनकी नं० 1 को केवल राजस्व रेकार्ड का आकलन कर सिद्ध मान लेना कानूनी प्रावधानों के अनुसरण में सही नहीं है जिस कारण अपीलान्ट की अपील निरस्तनीय है।

तनकी नं० 2 को साबित करने का भार वादीगण/अपीलान्ट पर था जो अधीनस्थ न्यायालय नासाबित सही माना है क्योकि प्रतिवादी/रेस्पो० विवादित आराजी पर अपने हक हिस्से अनुरूप काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा वादीगण/अपीलान्ट स्वयं विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में उनके नाम दर्ज हो जाने के आधार पर प्रतिवादी/रेस्पो० को उनके हक अधिकारो से व्यथित करने हेतु प्रयासरत है। जबकि विवादित आराजी प्रति०/रेस्पो० कम 1 व 2 की पुश्तैनी आराजी है जिसमें उनका धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार के तहत जन्म से हक अधिकार निहीत होने से खातेदारी प्राप्त करने की अधिकारणी है तथा अपीलान्ट ऐसा कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश करने में असफल रहे है कि रेस्पो०/प्रति० लडाई–झगडा करते हो तथा उनका विवादित आराजी में हक व अधिकार निहित नही हो।

तनकी नं० 3 व 4 को रेस्पो० द्वारा पूर्णरूप से साक्ष्य पेश कर बखूबी साबित किया है तथा उक्त तनकियात को अधीनस्थ न्यायालय ने सही तथ्यो व कानूनी प्रावधानो के तहत पत्रावली का गहन अध्ययन कर विवेचना करते हुये प्रतिवादी/रेस्पो० के पक्ष में सही तौर पर प्रमाणित माना है। अधीनस्थ न्यायालय में आयी साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रति०/रेस्पो० कम 1 चन्द्रकलां व कम 2 पंसूरी बाई मृतक माधोलाल जी की पुत्रीया है तथा विवादित आराजी माधोलाल जी को विरासतन शामलाती खातेदारी में अपने पिता व रेस्पो० कम 1 व 2 के दादा श्री लाल जी पुत्र कनीराम से प्राप्त हुई है जिस कारण विवादित आराजी रेस्पो० कम 1 व 2 की पैत्रक आराजी होना प्रमाणित है तथा उक्त विवादित आराजी में रेस्पो० कम 1 व 2 को हिन्दू उत्तराधिकार अनुसार जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त है गवाह पी०डब्ल्यू० 1 गयारसी बाई ने दोराने प्रतिपरीक्षण स्वीकार किया है कि उक्त आराजी

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

माधोलाल व धुलीलाल जी के खाते की है तथा दोनो सगे भाई है। विवादित आराजी पैत्रक सम्पति है स्वअर्जित नहीं है धूलीलाल व माधोलाल के खाते से हमारे आयी है। माधोलाल जी ने कोई बंटवारा नहीं किया। गवाह पी०डब्ल्यू० 2 चतुभुज ने भी अपनी साक्ष्य में विवादित आराजी माधोलाल व धूलीलाल के खाते में दर्ज होना व उनके पिता का नाम लाल जी होना स्वीकार कर जमनालाल द्वारा कोई जमीन मोल नही खरीदना बताया है। गवाह डी०डब्ल्यू 1 चन्द्रकला व डी.डब्ल्यू–2 करण सिंह, डी. डब्ल्यू –3 रामकिशन डी.डब्ल्यू–4 भंवरलाल के बयानो से भी उक्त तथ्य स्पष्ट है कि विवादित आराजी वाद के पक्षकारान की पैतृक आराजी है जिसमें रेस्पो० कम 1 व 2 का जन्म से ही हक अधिकार प्राप्त होना स्वीकृत स्थिति है तथा उक्त माधोलाल जी की फर्जी कूटरचित वसीयत की आड में रेस्पो० कम 1 व 2 को उनके हक अधिकारो से वंचित नहीं किया जा सकता ।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं० 3 व 4 को सुविधा की दृष्टि से बिन्दुवार प्रश्न तय कर विधिक प्रावधानो के दृष्टिगत विवेचना कर कानून सम्मत निर्णय व डिकी पारित की है अपीलान्ट कम 1 के पक्ष में विवादित आराजी बाबत् वसीयत को आधार बनाकर विवादित आराजी पर उक्त फर्जी कूटरचित अपंजीकृत वसीयत नामा दिनांक 13.08.1993 की आड में राजस्व कर्मचारियो से सांठ–गाठ कर गुपचुप तरीके से ग्राम मुन्डकिया की आराजी में नामा० नं० 291, ग्राम कुन्डी की आराजी में नामा० नं० 435, ग्राम खेराखेडा गुसाई की आराजी में नामान्तकरण नं० 122 एक ही दिनांक 02.09.1993 को खोले गये नामान्तकरण प्रारम्भः ही अवैध व शून्य थे। क्योकि विवादित आराजी में श्री माधोलाल जी के फोत होने पर विवादित आराजियात पर माधोलाल जी का फोती नामान्तकरण खोलने की रेस्पो० कम 1 व 2 को कोई जानकारी नही दी गयी ना ही उन्हे नामान्तकरण खोलते समय बुलाया गया जबकि किसी भी वसीयती नामान्तकरण को खोलने से पूर्व वसीयत कर्ता के उत्तराधिकारियो को कानूनन सूचित कर वसीयत के गवाहान से वसीयत को प्रमाणित करवाने व गवाहान के बयान लेखबद्ध करने के उपरान्त धारा 135 (2) एल०आर०एक्ट के तहत आदेश/निर्णय पारित कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने के प्रावधान है। जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी व्यवस्था दी है कि वसीयत के आधार पर न तो इंतकाल खोला जा सकता है एवं ना ही तस्दीक किया जा सकता है जो न्यायिक दृष्टान्त डी०एन०जे० 2003 (3) पेज 1143 एच०सी० बउनवान जेवू सिंह बनाम भंवरसिंह वगैरा से स्पष्ट है। जबकि अपीलान्ट कम 1 ने राजस्व कर्मचारियो से सांठ गाठ कर माधोलाल जी के खोले गये फोती नामान्तकरण नं० 291 दिनांकित 02.09. 1993 मे मृतक माधोलाल के एक पुत्र दो पुत्रियां व एक बेवा के होने का इन्द्राज भी आलेखित है। इसके बावजूद ना तो रेस्पो० कम 1 व 2 का नाम अंकित किया गया ना ही उन्हे सूचित कर आपत्ति मांगी गयी ना ही उनके समर्थन व सहमति होने बाबत् कोई अंकन किया गया ना ही वसीयत को उसके गवाहान से प्रमाणित करवाया गया तथा बजाए इसके उक्त फर्जी अपंजीकृत वसीयत दिनांकित 13.08.1993 के आधार पर गुपचुप तरीके से वसीयत नामा पेश किये बिना विवादित सम्पूर्ण आराजीयात पर अपीलान्ट कम 1 के नाम एक ही दिन में नामान्तकरण तस्दीक कर दिये गये जो प्रारम्भतः अवैध अमान्य विधि विरूद्ध होने से प्रभाव शून्य है माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा 2020 आर०बी०जे० पेज 301 में भी निम्न अनुसार मत व्यक्त किया है"
Rajasthan Land Revenue Act 1956-sec 135- On th basis of Un-rsgistered Will mutation

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

cannot be attested- Non applicant should file a suit in the competent court who can dzecied about the validity of will mutation proceedings is a fiscal proceedings in wich rights about khatedar of land cannot be dzecidzed- " तथा अनरजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 13.08.1993 के आधार पर तस्दीक उक्त तीनो नामान्तकरण प्रारम्भतः प्रति०/रेस्पो० कम 1 व 2 के उत्तरभोगी अधिकारो के विपरीत है तथा न्यायिक दृष्टान्त/माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ए०आई०आर० 1987 सुप्रीम कोर्ट 1072 शीलादेवी बनाम मोहनलाल से प्रमाणित है कि वादीगण/रेस्पो० को इस की घोषणाकरवाने के हकदार बनाते है कि प्रारम्भतः शून्य दस्तावेज होने से उत्तरभोगियो के अधिकार प्रभावित नही होगें तथा रेस्पो० विवादित पैतृक आराजी में अपने खातेदारी अधिकारो की घोषणा करवा पाने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वसीयत नामा दिनांकित 13.08.1993 प्रदर्श 8 ए को वादीगण/अपीलान्ट ने दस्तावेज वसीयत के गवाहान को अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर प्रमाणित भी नही करवाया जबकि विधि अनुसार किसी दस्तावेज को प्रदर्श कर देने मात्र से उसे साबित नही माना जाता है उसे उसके गवाहान व साक्ष्य से सबित करना होता है कि वसीयत किन परिस्थितियो में किसके द्वारा आलेखित की वसीयत आलेखन या टाईप किस व्यक्ति द्वारा किया गया, स्टाम्प कौन लाया वसीयत करने के दौरान कौन कौन व्यक्ति उपस्थित थे इत्यादि। जो विम्भिन न्यायिक नजिरो से स्पष्ट है तथा वसीयत को अधिनियम की धारा 63 व साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के प्रावधानो अनुसार वसीयत को कम से कम उसके एक गवाहान से प्रमाणित करवाया जाना आवश्यक है जो न्यायिक दृष्टान्त सी० जे० (सिविल) 2020 (2) एस०सी० पेज नं० 447 बउनवान धनपथ बनाम श्योराम एवं सी०जे० (सिविल) 2025 (1) एस०सी० पेज नं० 62 बउनवान लीलाल वगैरा बनाम मुरगननाथ वगेरा में प्रतिपादीत सिद्वान्त से प्रमाणित है कि कोई भी वसीयत का केवल पंजीकृत होना उसकी वैधानिकता पर मोहर अंकित नहीं करेगा तथा इसे अब भी अधिनियम की धारा 63 व साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 की विधिक आज्ञापना अनुसार साबित किया जाना चाहिये। जबकि वसीयत दिनांक 13.08.1993 अपंजीकृत दस्तावेज होने के साथ साथ उक्त दस्तावेज वसीयत को ना तो विवादित आराजी पर दौराने नामान्तकरण खोलते समय साबित किया गया और ना ही अधीनस्थ न्यायालय में वाद विचारण के दौरान साबित करवाया गया इस कारण जब तक वसीयत को सक्षम न्यायालय से साबित कर वैद्य होने की घोषणा नही करवाली जावे अथवा पक्षकारान से अनापत्ति प्राप्त नहीं की जावे तब तक धारा 54 सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियम के तहत ऐसा दस्तावेज जो सम्पति का हस्तातरण करता है अपंजीकृत होने से साक्ष्य में भी ग्राहय नहीं है तथा उक्त दस्तावेज द्वारा किया गया हस्तान्तरण अवैध व शून्य है। जो व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने न्यायिक निर्णय 2023 लाईव लॉ एस०सी० 479 घनश्याम बनाम योगेन्द्र राठी मे दर्शायी है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने न्यायिक दृष्टान्त 2016 (2) आर०आर०टी० 1099 बउनवान रामलाल बनाम मोती वगैरा में भी मत व्यक्त किया है कि जहाँ प्राकृतिक वारिसान व वसीयत वारिस के मध्य विवाद हो, वहाँ नियमित वाद में वसीयत साबित करना आवश्यक है इस कारण उक्त वसीयत दिनांक 13.08.1993 रेस्पो० कम 1 व 2 के विवादित आराजी मे निहित पैतृक हक अधिकारो की घोषणा बाबत् कोई प्रभाव नही रखती है तथा अपीलान्ट कम 1 द्वारा प्रदर्शित वसीयतनामा प्रदर्श 8–ए में वर्णित आराजी पैत्रक होने से माधोलाल जी को

(दीप्ति सम्चन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

वेसे भी वसीयत करने का कोई अधिकार प्राप्त नही था क्योकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सम्पति की वसीयत नहीं की जा सकती अपितु स्वअर्जित सम्पति की ही वसीयत की जा सकती है। इस कारण अपीलान्ट द्वारा वसीयत दिनांक 13.08.1993 को अधीनस्थ न्यायालय में कानूननी प्रावधानो के अनुसरण में साबित नही करने से भी उक्त अपील खारिज होने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली पर आयी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से यह तथ्य निर्विवाद है कि रेस्पो० कम 1 चन्द्रकलां व कम 2 पंसूरी बाई मृतक श्री माधोलाल पुत्र लाल जी कुमावत की वैध पुत्रिया व वारिसान है तथा अधीनस्थ न्यायालय में दौराने प्रतिपरीक्षण गवाहान के बयान व प्रस्तुत दस्तावेज तथा माननीय न्यायालय हाजा में आदेश 41 नियम 27 सी०पी०सी० के आवेदन के माध्यम से पेश विवादित आराजी के पुराने राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है कि वाद में विवादित आराजी लालजी कुमावत से दोनो पुत्रो धूलीलाल व माधोलाल को प्राप्त हुयी है तथा विवादित आराजी वाद के पक्षकारान की पुश्तैनी आराजी है जिसमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 अनुसार रेस्पो० कम 1 व 2 का माधोलाल जी की पुत्रियां होने के नाते सहदायगी अनुसार जन्म से हक व अधिकार निहीत है तथा हिन्दू उत्तराधिकार अनुसार की धारा 6 में उपधारणा की व्यवस्था दी गयी है कि हिन्दू मिताक्षरा कानून द्वारा शासित संयुक्त हिन्दु परिवार में सहदायकी पुत्रियां जन्म से ही पुत्रो के समान सहदायगी सम्पति में हक व अधिकार प्राप्त करती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम मे पुत्रीयो के उनकी पैतृक सम्पत्ति मे अधिकारो को सुरक्षित करने व बचाये रखने हेतु उक्त प्रावधान किये गये है तथा इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आर०आर०टी० 2020 (2) एस०सी० पेज 998 बउनवान विनिता शर्मा बनाम राकेश शर्मा महवपूर्ण है जिसमें स्पष्ट किया है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम संसोधन 2005 भूतगामी प्रभाव से लागू होगा तथा पुत्रियां जन्म से ही पुत्रो के समान पैतृक सम्पति में हिस्सेदार होगी। पेरा नं० 129 अनुसार पूर्व में जन्मी पुत्री 20.12.2004 से पूर्व निस्तारित अथवा संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारित सम्पत्ति में अधिकार का दावा कर सकती है। दिनांक 09.09.2005 को पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है क्योकि सहदायगी सम्पति में अधिकार जन्म से है। इस आधार पर रेस्पो० कम 1 व 2 विवादित आराजी उनके पूर्वजो की होने व पैतृक आराजियात में उनका सहदायगी अनुसार हक व हिस्सा होने से अपने हक अधिकारो की घोषणा करवा पाने की पूर्णतया अधिकारी है।

अपीलान्ट ने दौराने उक्त उनवान अपील में जो वाद के पक्षकारान का सजरा बताया है उसके अनुसार विवादित आराजी के खातेदार धूलीलाल व माधोलाल के पिता धूलीलाल है तथा आदेश 41 नियम 27 के तहत प्रस्तुत विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दियो व मिलान क्षेत्र से विवादित आराजी लालजी से विरासतन उनके दोनो पुत्रो माधोलाल व धूलीलाल को 1/2,1/2 समभाग में संयुक्त खातेदारी में प्राप्त होना सिद्ध है तथा माधोलाल जी के एक पुत्र जमनालाल व दो पुत्रियां कमशः रेस्पो० कम 1 चन्द्रकलां व कम 2 पंसूरी बाई होना प्रमाणित है तथा वसीयत दिनांक 13.08.1993 में माधोलाल जी की और से आलेखित कथन की जमनालाल धूलीलाल के गोद चला गया है जिस कारण कानूनन जमनालाल का अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति से वंचित हो जाने व उसे दत्तक पिता धूलीलाल की

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

सम्पति प्राप्त होने के कारण विवादित आराजी मे माधोलाल के खाते दर्ज 1/2 पैतृक आराजी में कानूनी तोर पर माधोलाल का 1/3 व रेस्पो० कम 1 चन्द्रकलां का 1/3, व रेस्पो० कम 2 पंसूरी बाई का 1/3 जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है । इस कारण माधोलाल को विवादित आराजी सहदायगी सम्पति में उसे प्राप्त 1/3 हक हिस्से से ज्यादा सम्पति की वसीयत करने का हक व अधिकार ही प्राप्त नही था तथा यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने हिस्से से अधिक किया गया अन्तरण हस्तान्तरण प्रारम्भः से ही ही अवैध व शून्य है तथा दस्तावेज प्रदर्श 8 ए वसीयत दिनांक 13.08.1993 प्रारम्भतः विधि विरूद्ध होने से शून्य व अवैध दस्तावेज है तथा उक्त अवेध शून्य दस्तावेज प्रर्दश–8 ए के आधार पर खोला गया नामा० नं० 291 ग्राम मुन्डकिया नामा० नं० 436 ग्राम कुन्डी नामान्तकरण नं० 122 ग्राम खेराखेडा गुसाई दिनांकित 02.09.1993 भी स्वतः ही अवैध व शून्य है तथा प्रति०/रेस्पो० का विवादित आराजी में जन्म से ही हक व हिस्सा विद्यमान होने से उक्त प्रारम्भतः अवैध व शून्य वसीयत प्रति०/रेस्पोडेन्टगण के हक व अधिकारो की सीमा तक निष्प्रभावी है न्यायिक दृष्टान्त सी०जे० (सिविल) 2025 (1) एच०सी० पेज नं० 363 बउनवान हरिनारायण बनाम श्रीमती सोनी देवी में पारित निर्णय से स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति उसे प्राप्त अपने हिस्से से अधिक की वसीयत का निष्पादन नही कर सकता तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने न्यायिक नजीर डी०एन०जे० 2016 (2) राज० पेज नं० 880 बउनवान बंशीलाल बनाम कालू राम में भी प्रतिपादित किया है कि कोई भी अन्तरणकर्ता अपने पास विद्यमान स्वत्व से बेहतर स्वत्व का अन्तरण अंतरिति को नही कर सकता (Nemo dat quod non habet principle) तथा न्यायिक दृष्टान्त सी० जे० (सिविल) 202 (3) एच०सी० पेज नं० 1405 बउनवान भोरनीलाल बनाम रामेश्वर में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ने स्पष्ट किया है कि नामान्तकरण कार्यवाहियो में दर्ज निष्कर्ष पक्षकारो के तात्विक अधिकारो का निर्धारण नही करते ये सरसरी कार्यवाही है तथा सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नियमित वाद में इन निष्कर्षो व नामान्तकरणो को प्रागन्याय के रूप प्रायोज्य नहीं किया जा सकता है तथा वर्ष 2015 में ही उच्चतम न्यायालय द्वारा भी नामान्तरण कार्यवाही को फिक्सल प्रोसिडिंग बताते हुये स्पष्ट कर दिया था कि नामान्तकरण से किसी पक्षकार को अधिकार प्राप्त नही होते नामान्तकरण कार्यवाही एक वित्तीय कार्यवाही है जिसमे केवल यह तय होता है कि राजस्व कर का भुगतान कौन करेगा। इस कारण विवादित आराजी पर खोले गये नामान्तकरण अवैध व निष्प्रभावी होने के आधार पर प्रारम्भतः शून्य है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त तनकी नं० 3 व 4 पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है तथा उक्त तनकीयात रेस्पो०/प्रति० द्वारा पूर्ण रूप से साबित है।

अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो०/प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर विवादित आराजी में रेस्पो० ने अपने हक अधिकारो की घोषणा करवा कर खातेदारी अधिकारो की मांग की है प्रति०/रेस्पो० ने अपने काउन्टर क्लेम में वसीयत को फर्जी कूटरचित होना व संदिग्ध परिस्थिति के तहत हक अधिकारो से ज्यादा आराजी का हस्तातरण कर रेस्पोडेन्ट को उनके हक अधिकारो से वंचित करने हेतु तैयार किये जाने के आधार पर उक्त वसीयत दिनांक 13.08.1993 व उसके आधार पर खोले गये नामा० नं० 291 ग्राम मुन्डकिया, नामा० नं० 435 ग्राम कुन्डी नामान्तकरण नं० 122 ग्राम खेराखेडा गुसाई दिनांकित 02.09.1993 प्रारम्भतः उनके

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हक अधिकारो के विपरीत शुन्य अवेध होना बताकर विवादित आराजी में खातेदारी अधिकारो की घोषणा करने की प्रार्थना की है ना कि वसीयत दिनांक 13.08.1993 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है उक्त वाद में मूल अनुतोष खातेदार घोषित करने व स्थायी निषेधाज्ञा का है क्या यह अनुतोष कृषि भूमि बाबत् सिविल न्यायालय द्वारा दिये जा सकते है? उक्त प्रश्न कि क्या वाद राजस्व न्यायालय द्वारा विचारणीय है या नही। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 में निम्न प्रावधान दर्शित है–

"sec 207 Suits and application congnizable by Revenue Court only-(1) All suits and application of the nature specifield in the Third Schedule shall be heard and dzetermined by a Revenue Court-

(2)- No Court other than a Revnue Court shall take cognizance of any such suit or application or of any uit or application based on a couse of action in respect of which any relief could be obitained by means of any such suit or application-"

उक्त प्रावधानो अनुसार खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद केवल राजस्व न्यायालय में ही पोषणीय है न कि किसी सिविल न्यायालय में अर्थात् धारा 207 आर. टी.एक्ट के तहत खातेदारी अधिकारो की घोषणा के लिये राजस्व न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है The Doctrine of Pith and Substance के अनुसार भी वाद के अधिकार क्षेत्र के निर्धारण के लिये मुख्य अनुतोष को आधार बनाना चाहिये । उक्त वाद में रेस्पो०/प्रति० द्वारा मांगा गया मुख्य अनुतोष खातेदारी अधिकारों की घोषणा का है जिस हेतु अलग से वसीयत को निरस्त कराना आवश्यक नही है। खातेदारी अधिकारो की घोषणा के वाद में वसीयत दत्तक पुत्र एवं पंजीकृत विक्रय पत्र को आधार बनाया जाता तब भी वाद राजस्व न्यायालय में ही पोषणीय है क्योकि वाद में मुख्य अनुतोष खातेदारी की घोषणा का है जो न्यायिक दृष्टान्त आर०आर०टी० 2015 (1) पेज 474 बउनवान मधुराम बनाम राजस्व मण्डल में माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान द्वारा दिये गये मत से पुष्ठ है। न्यायिक नजीर आर०आर०टी० 2022–23 (सप्ली०) पेज 354 बउनवान दानिश बनाम अब्दुल राशिद में राजस्व मण्डल ने स्पष्ट बताया है कि कृषि आराजी बाबत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता एवं किसी प्रकार न्यायिक दृष्टान्त आर०आर०टी० 2023 (1) पेज 372 बउनवान धनराज बनाम रतन कुमार से राजस्व मण्डल ने स्पष्ट किया है कि वादी ने वाद में विवादित भूमि पैतृक होने के आधार पर वादी अपने हक हिस्से की घोषणा का दावा करता है तथा कोई व्यक्ति उसके हिस्से से अधिक भूमि को दस्तावेज से हस्तान्तरित कर रहा है तो ऐसा दस्तावेज शून्य व अवैध है तथा उक्त दस्तावेज को बिना निरस्त करवाये राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि में हिस्सा निर्धारित कर सकता है एवं उक्त तथ्य माननीय न्यायालय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय आर.एल० डब्ल्यू 2019 (3) पेज 2371 बागाराम बनाम बालकिशन से भी प्रमाणित है माननीय उच्च न्यायालय ने एस. बी. सिविल मिस. अपील नं० 563/1993 आदेश दिनांक 20.12.2011 रूकमणी बनाम भोला ने भी यही अभिमत प्रकट किया है यदि किसी दस्तावेज को अवैध शून्य घोषित कराने हेतु वाद पेश किया है लेकिन मूल रूप से वाद खातेदारी अधिकारो से सम्बन्धित है तो राजस्व न्यायालय को ही वाद सुनने की

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधिकारिता है जब तक राजस्व न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकार घोषित नही कर दिये जाते तब तक सिविल न्यायालय दस्तावेज को अवेध शून्य घोषित नहीं कर सकता है उक्त व्यवस्था बाबत अन्य न्यायिक दृष्टान्त सी०जे० (सिविल) 2019 (1) एस०सी० पेज नं० 89 बउनवान प्यारेलाल बनाम शुभेन्द्र बाहु एवं सी०जे० (सिविल) 2023 (2) एच०सी० पेज नं० 1049 बउनवान रतनलाल बनाम कान्हा जी डांगी में भी उक्त सिद्धान्त पारित किया गया है कि पैतृक आराजी बाबत् आलेखित किसी भी दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने से पहले राजस्व न्यायालय से हक व हिस्से की घोषणा करवाया जाना आवश्यक है तथा जब तक राजस्व न्यायालय द्वारा पैतृक भूमि के सम्बन्ध में अधिकारो का पकरकलन नहीं कर दिया जाता तब तक उस भूमि के सम्बन्ध में किसी भी दस्तावेज के रद्दकरण का अनुतोष सिविल न्यायालय द्वारा प्रदान नही किया जा सकता है उक्त न्यायिक दृष्टान्तों से स्पष्ट है कि राजस्व न्यायालय को कृषि आराजीयात् बाबत् खातेदारी की घोषणा किये जाने के असिमित अधिकार प्राप्त है तथा प्रारम्भतः विधि विरुद्ध अवैध शून्य किसी भी दस्तावेज को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाये बिना भी राजस्व न्यायालय द्वारा कृषि भूमि मे सहदायगीयो के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जा सकती है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिकी पूर्णतया न्यायोचित होने से उक्त अपील काबिल खारिज होने योग्य है।

तनकी नं० 5 को साबित करने का भार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रति०/रेस्पो० पर भारित किया गया था जो रेस्पो०/प्रतिवादीगण द्वारा साबित की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर आयी साक्ष्य से प्रमाणित है कि माधोलाल जी व धूलीलाल जी दोनो भाई थे तथा विवादित आराजी दोनों भाईयो माधोलाल व धूलीलाल के समभाग 1/2 हक हिस्से अनुरूप खातेदारी में दर्ज थी एवं रेस्पो०/प्रति० कम 1 व 2 माधोलाल जी की पुत्रिया है जिनका हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्णित प्रावधानो अनुसार जन्म से ही हक व हिस्सा निहित है तथा रेस्पो०/प्रतिवादी कम 1 व 2 विवादित आराजी में अपनी खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। लाल जी के दो पुत्र माधोलाल एवं धूलीलाल थे तथा विवादित आराजी लालजी की मृत्यु के बाद दोनो पुत्रो को 1/2 व 1/2 हिस्सा खातेदारी में प्राप्त हुई है माधोलाल जी के एक पुत्र जमनालाल व दो पुत्रिया रेस्पो० कम 1 चन्दकलां व पंसूरीबाई है तथा जमनालाल के धूलीलाल जी के गोद चले जाने पर माधोलाल जी की आराजी में कानूनन जमनालाल का हिस्सा व्यपगत हो गया इस कारण विवादित आराजी में माधोलाल जी का 1/3 व रेस्पो० कम 1 का 1/3 व रेस्पो० कम 2 का 1/3 हक व हिस्सा विद्यमान था तथा माधोलाल द्वारा आलेखित बतायी गयी वसीयत दिनांक 13.08.1993 से सम्पूर्ण विवादित आराजी को जमनालाल की द्वितीय पत्नि ग्यारसी बाई को हस्तान्तरण करना अवैध था क्योकि माधोलाल को अपने हक व हिस्से 1/3 से अधिक सम्पति का हस्तान्तरण करने का अधिकार प्राप्त नही होने से उक्त वसीयत प्रारम्भतः रेस्पो० कम 1 व 2 के हक अधिकारो तक निष्प्रभावी थी। इस कारण रेस्पो० कम 1 व 2 विवादित आराजी में अपने हक अधिकारो की घोषणा करवा पाने की अधिकारी होना पूर्णतया साबित होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी नं० 5 को रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में साबित

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

मानकर न्यायोचित तोर पर उक्त निर्णय व डिकी पारित की है जो बहाल होने योग्य है तथा अपीलान्ट की अपील खारिज होने योग्य है ।

वाद में विवादित आराजी कृषि भूमि है एवं उक्त विवादित आराजी रेस्पोडेन्टगण की पैतृक होना प्रमाणित है जो माननीय न्यायालय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त सी०जे० (सिविल) 2018 (2) एस०सी० पेज नं० 559 बउनवान गंगामल उर्फ तुलसी बनाम टी०बी० राजू में बताये गये मत पैरा नं० 7 अनुसार कि कोई भी सम्पति जो पिता, पिता के पिता या पिता के पिता के पिता अर्थात् पिता, दादा आदि के पुरुष वशं से की पीढियो से न्यागत होती है, उसे पैतृक सम्पति माना जाता है। अपीलान्ट कम 1 ने अपने बयानो में भी विवादित आराजी को स्वयं व जमनालाल की पैतृक होने के कथन किये है। जमनालाल प्रति०/रेस्पो० कम 1 व 2 का सगा भाई है जिस कारण जमनालाल व रेस्पो० कम 1 व 2 की सहदायगी होने के आधार पर भी उक्त विवादित आराजी पैतृक होना दर्शित है। जिसके विवादित होने एवं घोषणा के दावे के माध्यम से पक्षकारान के मध्य अधिकारो को तय करने में राजस्व न्यायालय को अन्यन अधिकारिता प्राप्त है प्रतिवादीगण/रेस्पो० का प्रतिवाद पत्र घोषणा बाबत् है तथा घोषणा से सम्बन्धित वाद में कोई परिसीमा काल का निर्धारण नही है। रेस्पो० ने अधीनस्थ न्यायालय में काउन्टर क्लेम पेश कर वाद पत्र की मद् नं० 1, 2 व 3 में वर्णित भूमि मे खातेदारी अधिकारो की घोषणा की मांग की है जो अधीनस्थ न्यायालय प्रदान करने में पूर्णतया सक्षम है। अपीलान्टगण द्वारा रेस्पो० कम 1 व 2 को माधोलाल की पुत्रिया होने एवं विवादित आराजी के ग्यारसी बाई द्वारा जमनालाल व उसके पैतृक होने की स्वीकृति की गयी है जो धारा 58 साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्वीकृति सर्वोत्तम साक्ष्य है तथा आगे किसी प्रकार के अनुसमर्थन व प्रमाणिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। न्यायिक निर्णय डी०एनं० जे० 2014 (1) राज० पेज० नं० 88 हरिबल्लम बनाम राजस्थान सरकार व 2022 (2) सीजे (सिविल) राज० डी.बी. पेज नं० 1238 ईमरान रफीक बनाम अभिलाशा जैन मे माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान में भी स्वीकृति को सर्वोच्च साक्ष्य होना अनुप्रमाणित किया है । इस कारण अपीलान्ट की अपील निरस्त होने योग्य है तथा प्रतिवादीगण/रेस्पो० का काउन्टर क्लेम साबित है एवं अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलान्ट के वाद को अस्वीकार कर रेस्पो०/प्रतिवादीगण के काउन्टर क्लेम को स्वीकार कर उक्त निर्णय व डिकी दिनांक 16.07.2025 सही पारित की है।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में राजस्थान हाई कोर्ट सिंगल बेंच जीतू सिंह बनाम भंवर सिंह वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2003, 2025(1) C.J. (Civ.) (SC) पेज 62, 2023 Live Law (SC) 479 IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPEAL NOS.7527-7528 OF 2012; JUNE 02, 2023 GHANSHYAM VERSUS YOGENDRA RATHI, आर.आर.टी. 2020(2) पेज 998, 2025(1) C.J. (Civ.) (Raj.) पेज 363, 2016 2 डी. एन.जे. पेज 880, राजस्थान उच्च न्यायालय एकल बेंच बंशीलाल बनाम कालूराम और अन्य निर्णय दिनांक 07.04.2016, 2021(3) C.J. (Civ.) (Raj.) पेज 1405, आर.आर.टी. 2022–23 (सप्ली.) पेज 354, आर.आर.टी. 2023(1) पेज 372, राजस्थान उच्च न्यायालय एकल बेंच बगा और अन्य बनाम बालकिशन एलीएस बालरामकिशन और अन्य निर्णय दिनांक 16.05.2019,राजस्थान उच्च न्यायालय एकल बेंच रूकमणी बनाम भोला और अन्य निर्णय दिनांक 20.12.2011, 2019(1) C.J. (Civ.) (S.C.) पेज 81,

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

2023(2) C.J. (Civ.) (Raj.) पेज 1049, 2022(2) C.J. (Civ.) (Raj.) पेज 1238, 2018(2) C.J. (Civ.) (s.c.) पेज 559, 2020(2) C.J. (Civ.) (s.c.) पेज 447, 2016 (2) आर.आर.टी. पेज 1099, आर.आर.टी. 2015(1) पेज 474की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है

हमने विद्वान अभिभाषकगण की उभयपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में यह वाद प्रकरण संख्या 61/2010 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के तहत् दर्ज किया गया। जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा दिनांक 23.05.2017 को किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 की न्यायालय हाजा में अपील की गयी। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 28.08.2018 से निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.05.2017 को अपास्त करते हुए प्रकरण इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि "प्रकरण का विस्तृत परीक्षण कर गुणावगुण के आधार पर विवेचन करते हुए उभयपक्षीय बसह सुनकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।" तत्पश्चात न्यायालय हाजा के निर्णय की पालना में अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज कर विधिवत कार्यवाही की गयी।

संबंधित प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् एक दावा इस आशय का पेश किया है कि ग्राम मून्डकिया तहसील छबडा में भूमि कुल किता 20 कुल रकबा 47.02 बीघा एवं ग्राम कुन्डी तहसील छबडा की भूमि खसरा नं. 530 रकबा 12.02 बीघा वादनी कम 1 ग्यारसी बाई व पति जमनालाल के शामलाती खातेदारी में हिस्सा बराबर दर्ज चली आ रही थी। जमना लाल का स्वर्गवास होने से उसके हिस्से की भूमियात का इंतकाल वादीगण के नाम तस्दीक हो चुका है। ग्राम खेरखेडा गुसाई तहसील छबडा की भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 12.16 बीघा वादीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादनी कम 1 व 2 आपस में बहिनें है जिनकी नियत में बदनियती आने के कारण वादनी कम 1 ग्यारसीबाई के बेवा हो जाने एवं वादनी के असहाय हो जाने का नाजायज लाभ उठाते हुए वादिनियों के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही उक्त वर्णित भूमियों पर आधिपत्य करने को आमदा है। अतः प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण के शामलाती एवं कब्जे काश्त में चली आ रही उक्त वर्णित भूमि पर किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे, वादीगण को शांतिपूर्ण काश्त करने में बाधा नहीं पंहुचावे।

(दीप्ति समचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादनीगण ने जवाबदावा मय काउण्टर क्लेम पेश कर कथन किया कि प्रतिवादनीगण के अलावा अन्य कोई भी स्व. माधोलाल के वैध व कायम मुकाम नहीं है। स्व. लालजी की मृत्यु के बाद उनके दोनों पुत्र माधोलाल व धूलीलाल के खाते दर्ज हुई। इस प्रकार खातेदार मृतक माधोलाल का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। खातेदार मृतक माधोलाल का वैध वारिसान में से जमनालाल का स्वर्गवास दिनांक 01.08.2009 को हो जाने के पश्चात उनकी उक्त कृषि भूमि वादिया कम 1 ग्यारसीबाई ने अपने सहयोगियो के माध्यम से उक्त भूमि को हडपने की नियत से चुपचाप एक फर्जी वसीयतनामा प्रतिवादीगण के पिता माधोलाल के नाम का तैयार कर रेवेन्यू रिकार्ड में अपना 1/2 हिस्से पर अंकित करा लिया जो अवैध व विधिविरूद्ध खोला गया जो प्रभाव शून्य होने से प्रतिवादीगण के हितो पर निष्प्रभावी है। वादिया कम 1 ग्यारसीबाई प्रतिवादिया का एक मात्र भाई जमनालाल की दूसरी पत्नी है जिसका उक्त भूमि पर आज तक कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। खातेदार माधोलाल की मृत्यु के बाद नामान्तरण नं. 291 में मृतक खातेदार के वारिसान में एक पुत्र, दो पुत्रियां व बेवा का इन्द्राज भी फौती इंतकाल में लिखा हुआ होते हुए भी ना तो उनका नाम अंकित किया ना ही विवरण दिया, केवल उक्त फौती इंतकाल वसीयतनामा के आधार पर खोला जाना बताया। जमनालाल की विवाहित पत्नी भूली बाई भी उस वक्त मौजूद थी और वादिया ग्यारसी बाई मृतक खातेदार माधोलाल की वारिस भी नही थी। उक्त सम्पत्ति मृतक खातेदार माधोलाल की स्वअर्जित नहीं होने एवं उसका पुत्र जमनालाल, पुत्रिया प्रतिवादनीगण व पत्नी नर्बदीबाई खातेदार माधोलाल की मृत्यु के बाद जीवित थे। अवैध वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण खोला गया जिसे न्यायालय एडीएम बारां द्वारा दिनांक 31.03.2010 को निरस्त कर दिया, जिसकी अपील रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में चल रही है। अतः जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद खारिज किया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम में वर्णित विवादित आराजी पर प्रतिवादिनीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादिनीगण का हिस्सा बटवारा कर पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को फरमाया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबडा द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2025 से तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादिनी का वाद खारिज किया गया तथा प्रतिवादिनीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए विवादित आराजी ग्राम मुण्डकिया तहसील छबडा की कुल किता 20 कुल रकबा 47.02 बीघा आराजी, ग्राम कुण्डी तहसील छबडा की खसरा नं. 530 रकबा 12.02 बीघा आराजी एवं ग्राम खेरखेडागुसाई तहसील छबडा की भूमि कुल किता 2 रकबा 12.16 बीघा आराजी प्रतिवादिनी कम 1 व 2 को माधोलाल की हिस्से की भूमि 1/2 में से 1/3–1/3 यानि सम्पूर्ण भूमि में से 1/6–1/6 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांटगण/वादिनीगण द्वारा न्यायालय हाजा में यह अपील प्रस्तुत की है।

अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध वादिया अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रस्तुत अपील में एवं दौराने बहस मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि खातेदार माधोलाल जी ने उनके

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

हिस्से व खाते की सम्पूर्ण भूमियों का वसीयतनामा वादिनी अपीलांट के पक्ष में दिनांक 13.08.1993 को निष्पादित किया गया था। खातेदार वसीयतकर्ता माधोलाल जी की वसीयतनामा निष्पादित करने के कुछ दिनों बाद सन् 1993 में मृत्यु हो गई थी। उक्त वसीयतनामा सन् 1993 में ही प्रभावशील हो गया था। संशोधित धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिनांक 09.09.2005 से प्रभावशील हुई है दिनांक 20.12.2004 तक के समस्त बेचान अन्तरण एवं वसीयतनामे (Testamentary succession) उक्त संशोधित धारा 6 से अप्रभावित है, इस कानूनी बिन्दु पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वसीयतनामे को 2/3 हिस्से की हद तक अवैध एवं प्रभावशून्य होना मानकर प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत काउंटर क्लेम डिक्री फरमाने में कानूनी त्रुटि की है वसीयत की वैधानिकता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है

वादिया अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में खातेदार माधोलाल द्वारा दिनांक 13.08.1993 को निष्पादित वसीयत को साबित नहीं किया है। वसीयत चाहे वह रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड विवाद की स्थिति में उसे साबित करना विधिक रूप से आवश्यक है। अपीलांट का यह कथन कि संशोधित धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 दिनांक 09.09.2005 से प्रभावशील हुई है दिनांक 20.12.2004 तक के समस्त बेचान अंतरण एवं वसीयतनामे (Testamentary succession) उक्त संशोधित धारा 6 से अप्रभावित है विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 द्वारा प्रस्थापित धारा 6 (5) में प्रावधान अंकित है कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई बात उस विभाजन को जो 20 दिसम्बर 2004 के पूर्व प्रभाव में लाया गया हो, को लागू नहीं होगी। इसके स्पष्टीकरण में विभाजन का अर्थ पंजीयन अधिनियम 1908 के अधीन पंजीकृत विभाजन विलेख या न्यायालय के आदेश द्वारा किया गया विभाजन है। विचाराधीन प्रकरण में विवादित आराजी का वैध विभाजन नहीं होकर विवादित आराजी अपंजीकृत वसीयत के माध्यम से वसीयतकर्ता माधोलाल की मृत्यु के पश्चात अपीलांट को प्राप्त हुई है। इस अपंजीकृत वसीयत को वादिया अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में साबित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी रेस्पोडेंट द्वारा काउंटर क्लेम के माध्यम से अपने पिता माधोलाल की पैतृक सम्पत्ति में खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 207 में निम्न प्रावधाना है :–

"207. Suits and application conginzable by Revenue Court only – (1) All suits and application of the nature specified in the Third Schedule shall be heard and determined by a Revenue Court.

(2) No Court other than a Revenue Court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suit or application."

उक्त प्रावधानों के अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद केवल राजस्व न्यायालयों में ही पोषणीय है।

(दीपचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने आर्डर 41 नियम 27 सी. पी. सी. के प्रार्थना पत्र के साथ ग्राम मुण्डकिया, ग्राम खेरखेडा गुसाई एवं ग्राम कुण्डी की विवादित आराजी की जमाबंदी एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित नकले पेश की है जिनके अनुसार विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति होने से रेस्पोडेंटगण अपने पिता माधोलाल के हिस्से की आराजी में हिस्सा प्राप्त करने की विधिक अधिकारी है। अतः विवादित आराजी माधोलाल की पैतृक सम्पत्ति होने के कारण हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में अपील के इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2025/157 एवं 2025/158 (काउण्टर क्लेम) खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2025 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/12/2025

(दीप्ति चन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

अपील संख्या– 2025/157)

1. मुसम्मात ग्यारसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री जमनालाल जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
2. स्वर्गीय मोहनी बाई पुत्री जमनालाल जी पत्नी चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज. मृतक जरिये कायम मुकामान :–

2/1. रवि पुत्र चन्द्र मोहन जी, जाति कुमरावत
2/2. योगेन्द्र (उर्फ योगेश) पुत्र चन्द्र मोहन जी, जाति कुमरावत
2/3. चेतन पुत्र चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत
2/4. टीना बाई पुत्री चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत

हाल निवासीगण दादाबाडी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

..... अपीलांट

बनाम

1. स्वर्गीय चन्द्रकला पुत्री माधोलाल जी पत्नी चतरू जी, जाति कुमरावत,निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज. मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/1. बद्रीलाल पुत्र चतरू जी उर्फ चतुर्भुज जी, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
1/2. लक्ष्मीनारायण पुत्र चतरू जी उर्फ चतुर्भुज जी, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
1/3. गंगा बाई पुत्री चतरू जी उर्फ चतुर्भुज पत्नी श्री गुलाब चन्द जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
1/4. मनभर बाई पुत्री चतरू उर्फ चतुर्भुज पत्नी रामदयाल जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
1/5. महेन्द्र सिंह पुत्र जमना बाई पत्नी श्री भंवर लाल जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.

2– मुसम्मात पन्सुरी बाई पुत्री माधोलाल जी पत्नी श्री भंवरलाल जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम बल्लूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.

..... रेस्पोर्डेट

अपील संख्या– 2025/158 (काउण्टर क्लेम)

1–मुसम्मात ग्यारसी बाई पत्नी स्वर्गीय श्री जमनालाल जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
2–स्वर्गीय मोहनी बाई पुत्री जमनालाल जी पत्नी चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज. मृतक जरिये कायम मुकामान :–

2/1. रवि पुत्र चन्द्र मोहन जी, जाति कुमरावत
2/2. योगेन्द्र (उर्फ योगेश) पुत्र चन्द्र मोहन जी, जाति कुमरावत
2/3. चेतन पुत्र चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत
2/4. टीना बाई पुत्री चन्द्रमोहन जी, जाति कुमरावत

हाल निवासीगण दादाबाडी कोटा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राज0

..... अपीलांट

1. स्वर्गीय चन्द्रकला पुत्री माधोलाल जी पत्नी चतरू जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज. मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1/1. बद्रीलाल पुत्र चतरू जी उर्फ चतुर्भुज जी, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
1/2. लक्ष्मीनारायण पुत्र चतरू जी उर्फ चतुर्भुज जी, जाति कुमावत, निवासी ग्राम मून्डकिया, तहसील छबडा, जिला बारां राज.
1/3. गंगा बाई पुत्री चतरू जी उर्फ चतुर्भुज पत्नी श्री गुलाब चन्द जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
1/4. मनभर बाई पुत्री चतरू उर्फ चतुर्भुज पत्नी रामदयाल जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.
1/5. महेन्द्र सिंह पुत्र जमना बाई पत्नी श्री भंवर लाल जी, जाति कुमावत, निवासी उदपुरिया, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.

2– मुसम्मात पन्सुरी बाई पुत्री माधोलाल जी पत्नी श्री भंवरलाल जी, जाति कुमरावत, निवासी ग्राम बल्लूखेडी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां राज.

.....रेस्पोर्डेट

अपील नं 2025/157 एव 2025/158 (काउण्टर क्लेम)
मु.द.नं0 85/2019 (पुराना संख्या 1/2020)

एवं नाराजगी डिक्री अदालत– उपखण्ड अधिकारी, छबडा
निर्णय व डिक्री दिनांक – 16.07.2025

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 26 माह 11 सन् 2025

उपस्थित श्री नरेन्द्र गुप्ता अभिभावक अपीलांट की ओर से, श्री धर्मेन्द्र चौधरी अभिभावक रेस्पोर्डेट की ओर से

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीले अपील संख्या 2025/157 एवं 2025/158 (काउण्टर क्लेम) खारिज की जाती है।अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2025 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 12 माह 12 सन् 2025 को जारी किया गया ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)